



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7223

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44905 वर्ष 2025

अंजू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक चतुर्वेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कासिम खान, शम्स उज़ ज़मान

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री निपुन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ श्री परितोष जोशी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री शम्स उज़ ज़म्मन, तथा राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री अरुण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कुमार मिश्रा, सहायक अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 102-बी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 1069/2014 में, पुलिस स्टेशन बरौत, जिला बागपत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:

4. शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 25.12.2014 को सुबह लगभग 9:45 बजे वह अपने बहनोई सत्यवीर उर्फ कल्लू के घर गया था और घर पहुँचने ही वाला था कि उसने दो लोगों को घर से बाहर आते देखा।

5. शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करते ही, सत्यपाल की पुत्री श्रीमती रेनू और उनके बेटे देबू ने उसे बताया कि दो लोग बाहर से आए थे और शयनकक्ष में बैठे थे। मृतक सत्यवीर उर्फ कल्लू ने उनसे पानी लाने को कहा था और बाद में उन्हें दो गिलास दूध देने को कहा था।

6. इसी दौरान उन्होंने सत्यवीर सिंह पर चार-पाँच बार गोलियाँ चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों राजेंद्र सिंह और श्रीमती रेनू की मदद से घायल को आस्था अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सत्यवीर सिंह उर्फ कल्लू को मृत घोषित कर दिया गया।

7. सूचनाकर्ता को संदेह है कि उक्त हत्या का अपराध आवेदक और उसके परिचितों ने किया है।

आवेदक की ओर से दलीलें:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।

9. एफआईआर बहुत शीघ्र दर्ज की गई है और घटना के एक घंटे के भीतर ही दर्ज कर ली गई थी। घटना 25.12.2014 की है और हमलावरों को कोई नहीं जानता था।

10. 5.1.2015 को मृतक की माता बोहती देवी का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वाले सर्वेश उर्फ मंगल और विक्की थे और हत्या का मकसद पैसों का विवाद था।

11. उक्त दोनों आरोपियों, सर्वेश उर्फ मंगल और विक्की को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद, उनके खिलाफ 1.3.2015 को अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) प्रस्तुत की गई।

12. बागपत के मुख्य न्यायिक न्यायाधीश ने 31.3.2015 को संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अवर न्यायालय ने दोनों आरोपियों, सर्वेश उर्फ मंगल और विक्की के खिलाफ आरोप तय किए।

13. इसी बीच, आरोपी सर्वेश उर्फ मंगल और विक्की को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.3.2016 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15627/2015 और 15980/2015 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई थी।

14. मृतक के सौतेले भाई सोहनवीर ने मृतक की संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से दो दीवानी मुकदमे, एक शिकायत मामला और संपत्ति के उत्पत्तिवर्तन को चुनौती देने वाला एक दीवानी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षण मुकदमा दायर किया। उसने अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम के तहत आवेदक के नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए भी एक मुकदमा दायर किया।

15. सोहनवीर ने अपनी माता बोहती देवी को भी प्रभावित किया ताकि वे अपना बयान बदल दें और आवेदक को हत्या के मामले में फंसा दें।

16. सोहनवीर के उकसावे पर, 18.4.2016 को मृतक की माता बोहती देवी ने पुलिस अधीक्षक (अपराध) के समक्ष एक नोटरीकृत हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने आवेदक और अश्वनी कुमार के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया।

17. उक्त हलफनामे के बाद, आवेदक ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 23128/2016 दायर कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7.11.2016 के माध्यम से आवेदक को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और जांच एजेंसी को एक महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

18. इस आदेश के बाद, पुलिस ने आवेदक और सह-आरोपी अश्विनी कुमार के खिलाफ आई.पी.सी.की धारा 302, 120-B के तहत 2.12.2016 को फाइनल रिपोर्ट (चार्जशीट) फाइल की।

19. आवेदक ने उक्त अंतिम रिपोर्ट (आरोपपत्र) को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2856/2017 दायर किया। इस न्यायालय ने दिनांक 30.1.2017 के अपने आदेश द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगा दी थी, लेकिन उक्त याचिका को न्यायालय ने दिनांक 13.5.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

20. इसी बीच, सह-आरोपी अश्वनी कुमार की माता ने 23.1.2019 को मामले की आगे की जांच के लिए प्रधान सचिव (गृह) को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले को आगे की जांच के लिए 13.2.2019 को केंद्रीय पुलिस-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया।

21. सीबी-सीआईडी ने गहन जांच के बाद आवेदक और सह-आरोपी अश्वनी कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया और 24.1.2020 को समापन रिपोर्ट दाखिल की, जिसे 5.2.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

22. मृतक बोहती देवी की माता ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 7093/2019 दायर कर 13.2.2019 के आगे की जांच के आदेश को चुनौती दी, जिसे 17.11.2020 को खारिज कर दिया गया।

23. श्रीमती बोहती देवी ने दिनांक 17.11.2020 के उक्त बर्खास्तगी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4394/2021 दाखिल करके चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के दिनांक 17.11.2020 के आदेश को रद्द कर दिया और प्रधान सचिव (गृह) द्वारा दिनांक 13.2.2019 को पारित आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें केंद्रीय एवं केंद्रीय पुलिस विभाग (सीबी-सीआईडी) द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

24. सह-आरोपी अश्वनी कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.3.2022 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4095/2022 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. श्रीमती बोहती देवी ने दिनांक 25.3.2022 के उक्त जमानत आदेश को फिर से सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 1695/2022 दायर करके चुनौती दी, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.9.2022 के अपने आदेश द्वारा सह-आरोपी अश्वनी कुमार को दी गई जमानत रद्द कर दी।

26. उक्त सह-आरोपी ने फिर से इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 43156/2023 दायर की, जिसे दिनांक 17.11.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। आरोपी अश्वनी कुमार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2024 को एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2506/2024 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी गई।

27. यह मामला परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित है और इसे आपराधिक कार्यवाही से अपरिचित सोहनवीर और उसकी माता बोहती देवी द्वारा आपराधिक प्रकृति का रंग दिया गया है। वे किसी न किसी बहाने से आवेदक को सलाखों के पीछे रखने पर तुले हुए हैं।

28. श्रीमती बोहती देवी द्वारा पुलिस अधीक्षक (अपराध) के समक्ष दायर हलफनामा धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है और किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है।

29. मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, अतः आवेदक, जो एक महिला हैं, समानता के आधार पर जमानत की हकदार हैं।

30. श्रीमती बोहती देवी के अनुरोध पर आवेदक को घोषित अपराधी घोषित किया गया था, क्योंकि सह-आरोपी अश्वनी कुमार द्वारा दायर याचिकाएं न्यायालयों में लंबित थीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 18.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

राज्य/प्रतिवादी पक्ष की ओर से तर्क:

32. जमानत याचिका का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया है कि आवेदक एक घोषित अपराधी है क्योंकि उसके खिलाफ धारा 82 और 83 सीआर.सी. के तहत कार्यवाही 22.2.2023 को पूरी हो चुकी थी।

33. आवेदक ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए वह जमानत की हकदार नहीं है।

34. आवेदक का सह-आरोपी अश्वनी कुमार के साथ अवैध संबंध था। और उसने अपने पति की हत्या करवाने के लिए उसके साथ साजिश रची।

35. आवेदक को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। यह तथ्य भी उसके विरुद्ध जाता है क्योंकि वह बेदाग नहीं है।

निष्कर्ष:

36. "दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोषता का अनुमान" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को एक नियम और कारावास को एक अपवाद के रूप में परिभाषित करता है।

37. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप *अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।

38. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि अदालतें इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है"।

39. माननीय ए.जी.ए. कोई भी ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जा सके।

40. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए निवेदनों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है, वह भी उसकी सास द्वारा लगभग एक वर्ष और पांच महीने की देरी के बाद दूर किया गया, और सह-आरोपी अश्वनी कुमार को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



41. आवेदक अंजू, जो उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

42. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

43. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

12 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।